न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 98 / 2020

भूपसिंह पुत्र श्योराम जाति अहीर निवासी अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना।

..................वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र उमदाराम जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना (फौत)
   1/1 धर्मपाल पुत्र बीरबल जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना।
   1/2 बाला पुत्री बीरबल जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना।
   1/3 भाती पुत्री बीरबल पत्नी दरिया जाति अहीर निवासी झांझा हाल आबाद धसेडा।
   1/4 माडी देवी पत्नी बीरबल जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना।
2. जयदयाल पुत्र उदमाराम जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना।
3. बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा बुहाना।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।
5. उप पंजीयक बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

दिनांक :– 02/11/21

वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत किया है कि–

1. यह कि ग्राम झांझा तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 19'1/2 रकबा 0.46 है., खसरा नम्बर 191/4 रकबा 0.47 है., खसरा नम्बर 292/1 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 400 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 416/1 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 669/543/1 रकबा 1.26 है., खसरा नम्बर 630 रकबा 1.17 है. कुल किता 7 कुल रकबा 3.90 है. भूमि विभाजन होकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी में दर्ज हुई थी। उसी समय नामान्तकरण संख्या 668 दिनांक 23.02.2011 को रहन मुक्त भी हो चुकी है।
2. यह है कि वादी ने दिनांक 23.05.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से खसरा नम्बर 191/2 रकबा 0.46 है., भूमि जरिसे विक्रय पत्र से क्रय कर ली गई। क्रय के पश्चात उक्त क्रय शुद्वा भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज कास्त है।
3. यह कि वादी ने अपनी भूमि क्रय के पश्चात [illegible] खसरा नम्बर 191/2 रकबा 0.46 है., भूमि का एकांकी खातेदार है जिस [illegible] करता आ रहा है।
4. यह कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 192/2 रकबा [illegible] है., क्रय करने के पश्चात विक्रय पत्र की एक प्रतिलिपि [illegible] नामान्तकरण दर्ज करने हेतु देकर नामान्तकरण फीस का भुगतान कर दिया वादी प्राईव्ट कम्पनी में काम करता है। वहा चला गया और फसल काटने व बौने के समय अपने गांव आता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

है। वैसे भी पंजीकृत विक्रय पत्र का नामान्तकरण दर्ज करने का उसका दायित्व है क्योकि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने का कानूननी दायित्व राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों का है।

5. यह कि वादी ने विक्रयपत्र की दिनांक 23.11.2011 की नकल की पटवारी हल्का को दे दीएवं अपनी ड्यूटी पर चला गया। लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने लापरवाही में आकर विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2011 का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज नही किया साथ ही पटवारी हल्का ने प्रतिवादी संख्या 1 से आपराधीक षड़यंत्र बना रखा था प्रतिवादी संख्या 1 पटवारी हल्का ने जानबुझकर वादी के नामान्तकरण दर्ज नही किया गया है।

वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि —

(क) कि ग्राम झांझा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2075—78 के हाल खसरा नम्बर 292 रकबा 0.24 है, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 416 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 692/669 रकबा 1.26 है., खसरा नम्बर 630 रकबा 1.17 है. खसरा नम्बर 764/191 रकबा 0.46 है. कुल किता 6 कुल रकबा 3.43 है. में से खसरा नम्बर 764/191 रकबा 0.46 है. भूमि की खातेदारी वादी को धोषित कर प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के हक में किया गया रहन वादी के हक अधिकारो पर शुन्य एवं निष्प्रभावी धोषित कर इस भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ कर वादी का नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के हक में रिकार्ड को अन्य खसरा नम्बर में से वसूल किया जावे।
(ख) कि प्रतिवादी संख्या को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम झांझा तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 192/2 के वर्तमान खसरा नम्बर 764/191 रकबा 0.46 है. में वादी के कब्जेकाश्त में उपयोग—उपभोग में दंखल नही करे तथा प्रतिवादी 3 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बताकर उसके यहां रहन रखा है उसके आधार पर इस भूमि से मौके वसूली कर वादी के उपयोग—उपभोग व कब्जा कास्त में दखलदांजी नही करे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल की गयी। प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/4 व 2 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। इकबालिये जबाव दावा पेश किया गया।

वादी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2075—78, जमाबंदी सं. 2065—68, विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2011 बीरबल, जयदयाल बहक भूपसिंह, रहनमुक्त प्रमाण पत्र बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक बुहाना की फोटो प्रति पेश किये गये।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ... ग्राम झांझा तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 192/2 के वर्तमान खसरा नम्बर 764/191 रकबा 0.46 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई। जिसको प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण ने इकबालिये जबाब दावा प्रस्तुत कर विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2011 के अनुसार वादी को खातेदार घोषित किये जाने की सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:आदेश :—

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम झांझा स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2075—78 के हाल खसरा नम्बर 292 रकबा 0.24 है, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 416 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 692/669 रकबा 1.26 है., खसरा नम्बर 630 रकबा 1.17 है. खसरा नम्बर 764/191 रकबा 0.46 है. कुल किता 6 कुल रकबा 3.43 है. में से खसरा नम्बर 764/191 रकबा 0.46 है. भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 764/191 रकबा 0.46 है. में प्रतिवादी संख्या 1 , 2 का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/खसरा नम्बर/रकबे के पक्ष में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 02/11/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–
सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 98 / 2020
निर्णय दिनांक :– 02/11/21

भूपसिंह पुत्र श्योराम जाति अहीर निवासी अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना।

..................वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र उमदाराम जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना (फौत)
1/1 धर्मपाल पुत्र बीरबल जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना।
1/2 बाला पुत्री बीरबल जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना।
1/3 भाती पुत्री बीरबल पत्नी दरिया जाति अहीर निवासी झांझा हाल आबाद धसेडा।
1/4 माडी देवी पत्नी बीरबल जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना।
2. जयदयाल पुत्र उदमाराम जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना।
3. बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।
5. उप पंजीयक बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी,एडवोकेट** की एवं प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/4 व 2 की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिती में आज तारीख 02/11/21 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम झांझा स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2075–78 के हाल खसरा नम्बर 292 रकबा 0.24 है, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 416 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 692/669 रकबा 1.26 है., खसरा नम्बर 630 रकबा 1.17 है. खसरा नम्बर 764/191 रकबा 0.46 है. कुल किता 6 कुल रकबा 3.43 है. में से खसरा नम्बर 764/191 रकबा 0.46 है. भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 764/191 रकबा 0.46 है. में प्रतिवादी संख्या 1, 2 का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/खसरा नम्बर/रकबे के पक्ष में दर्ज किया जावे। "

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.))

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02/11/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)